Unit-2

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र

1. भारतीय कृषि में समस्याएँ

भारत की स्वतंत्रता को कई दशक बीत चुके हैं, हाल ही में हमने 74वाँ गणतंत्र दिवस मनाया है। 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है, भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है तथा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई कहानियाँ लिख रहा है।

इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं।

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किये बिना कृषि का विकास संभव नहीं है, ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं..

1. जल आपूर्ति में अनिश्चितता:

a. भारत में कृषि व्यापक रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर है, जो प्रायः अनियमित, अविश्वसनीय और अपर्याप्त होती है।
   i. इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव होता रहता है।
   ii. प्रचुर उत्पादन वाले वर्ष के बाद प्रायः भारी कमी वाले वर्ष की वापसी होती है।

b. इसके अलावा, भारत में फसली क्षेत्र का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही सिंचाई के अंतर्गत शामिल है और सिंचाई अवसंरचना प्रायः अपर्याप्त, अकुशल एवं अपर्याप्त रखरखाव से ग्रस्त है।

c. जल की कमी और सूखा भारतीय कृषि के लिये बड़े खतरे हैं, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में।

2. पारिश्रमिक आय का अभाव:
    a. भारत में अधिकांश किसान निर्वाह कृषि **(subsistence farming)** करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से स्वयं के उपभोग के लिये फसलें उगाते हैं और बाज़ार में बेचने के लिये उनके पास बहुत कम या कोई अधिशेष नहीं बचता है।
        i. कृषि उपज की कीमतें प्रायः कम और अस्थिर होती हैं तथा उत्पादन की लागत को भी कवर नहीं कर पाती हैं।
        ii. किसानों को बिचौलियों, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है, जो उच्च ब्याज दरों और कमीशन की वसूली करते हैं।
    b. किसान औपचारिक ऋण और बीमा तक सीमित पहुँच रखते हैं जो उन्हें ऋण जाल और फसल विफलता के प्रति संवेदनशील बनाती है।
        i. किसानों के पास उचित मूल्य और नीतियों की मांग करने के लिये सौदेबाजी की शक्ति और सामूहिक कार्रवाई का भी अभाव है।
3. भूमि जोत का विखंडन:
    a. जनसंख्या वृद्धि और संयुक्त परिवार प्रणाली के विखंडन के कारण, कृषि भूमि का लगातार छोटे भूखंडों या भूमि जोत में विभाजन हो रहा है।
        i. भारत में भूमि जोत का औसत आकार **2** हेक्टेयर से भी कम है और लगभग **86%** किसान छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास **2** हेक्टेयर से कम भूमि है।
    b. भूमि जोत के विखंडन से कृषि की दक्षता और उत्पादकता कम हो जाती है, साथ ही मशीनीकरण और विविधीकरण की गुंजाइश भी कम हो जाती है।
    c. इससे कृषि और प्रबंधन की लागत भी बढ़ जाती है।
4. गुणवत्तापूर्ण बीजों और आगतो तक पहुँच का अभाव:
    a. बीज कृषि में सबसे महत्त्वपूर्ण इनपुट हैं, क्योंकि वे ही फसलों की उपज क्षमता और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं।
    b. हालाँकि, भारत में कई किसानों के पास उन्नत किस्मों के ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच नहीं है, जिनमें उच्च उपज, कीटों एवं रोगों के प्रति प्रतिरोध, सूखे या लवणता के प्रति सहनशीलता जैसे वांछनीय गुण होते हैं।
        i. बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate- SRR)—जो किसी फसल के लिये बोए गए कुल क्षेत्र में प्रमाणित बीजों के साथ बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत को निरूपित करता है, भारत में कई फसलों के लिये कम है।
        ii. उदाहरण के लिये, चावल के लिये **SSR** केवल **39.8%** है, जबकि गेहूँ के लिये यह **40.3%** है।
    c. किसानों के पास उर्वरक, कीटनाशक, जैव-उत्तेजक, पोषक तत्व जैसे अन्य इनपुट तक पहुँच की

भी कमी है, जो विभिन्न शस्य दशाओं में बीजों के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।

5. मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का अभाव:
    a. जुताई , बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, मड़ाई और फसलों के परिवहन में मशीनों का बहुत कम उपयोग किया जाता है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है।
        i. मशीनीकरण की कमी से कृषि की दक्षता और उत्पादकता कम हो जाती है, साथ ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता और श्रम लागत भी बढ़ जाती है।
    b. परिशुद्ध कृषि **(precision agriculture)**, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के बारे में बहुत से किसान जागरूक या प्रशिक्षित नहीं हैं , जो कृषि उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार कर सकते हैं।
6. संबद्ध अवसंरचना का अभाव:
    a. भारत में किसानों को बाज़ार पहुँच, भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन नेटवर्क जैसी संबद्ध अवसंरचना की कमी के कारण भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी उपज का मूल्यवर्द्धन कर सकते हैं और उनकी आय बढ़ा सकते हैं।
    b. बाज़ार की जानकारी, प्रतिस्पर्द्धा, विनियमन आदि के अभाव के कारण किसानों को प्रायः अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है।
        i. ऐसे उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को फसल के बाद के नुकसान **(post-harvest losses)** का भी सामना करना पड़ता है, जो उनकी उपज को खराब होने और क्षति से बचा सकता है।
    c. किसानों के पास अपनी उपज को मूल्यवर्द्धित उत्पादों में संसाधित करने के ऐसे सीमित अवसर मौजूद हैं जो बाज़ार में उच्च कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।
    d. खराब सड़क संपर्क और उच्च परिवहन लागत के कारण किसानों को अपनी उपज को खेत से बाज़ार तक ले जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2. भारतीय कृषि में सुधार

भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधारों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये 7 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रही है।

1- प्रति बूंद-अधिक फसल रणनीति **(Per Drop More Crop)**- इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी, इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।

2- कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है साथ ही खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने करने के लिये जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयोग करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी।

3- कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिये गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रुकेगी, खाद्य सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी तथा शेष उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सकता है।

4- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निहित है।

5- उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे देशभर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा।

6- भारत में हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिये वहनीय कीमतों पर फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि इसका वास्तविक लाभ अब तक पर्याप्त किसानों को नहीं मिल पाया है, इसका लाभ अधिकांश लोगों तक पहुँचे इसके लिये उपाय किये जाने चाहिये।

7- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूंकि देश के अधिकांश कृषक इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं अत: इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। आवश्यकता है जागरूकता, पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए।

चूंकि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है अत: देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जाए। उपरोक्त उपायों को यदि प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर कृषि की दशा में सुधार आ सकता है। इससे इस क्षेत्र में व्याप्त निराशा में कमी आएगी, किसानों की आत्महत्या रुकेगी, और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रुचि लेने लगेंगे।

3. भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी

कृषि में प्रौद्योगिकी का महत्त्व:

- कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है ।
- वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है।
    - वर्तमान में किसान उन क्षेत्रों में फसल उगाने में सक्षम हैं, जिन क्षेत्रों में पहले वे फसल उगाने में अक्षम थे, लेकिन यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है।
- उदाहरण के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक पौधे या जीव को दूसरे पौधे या जीव या इसके विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम बना दिया है।
    - इस तरह की इंजीनियरिंग फसलों में कीटों (जैसे बीटी कॉटन) और सूखे के प्रतिरोध को बढ़ाती है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान दक्षता और बेहतर उत्पादन के लिये प्रत्येक प्रक्रिया का विद्युतीकरण करने की स्थिति में हैं।

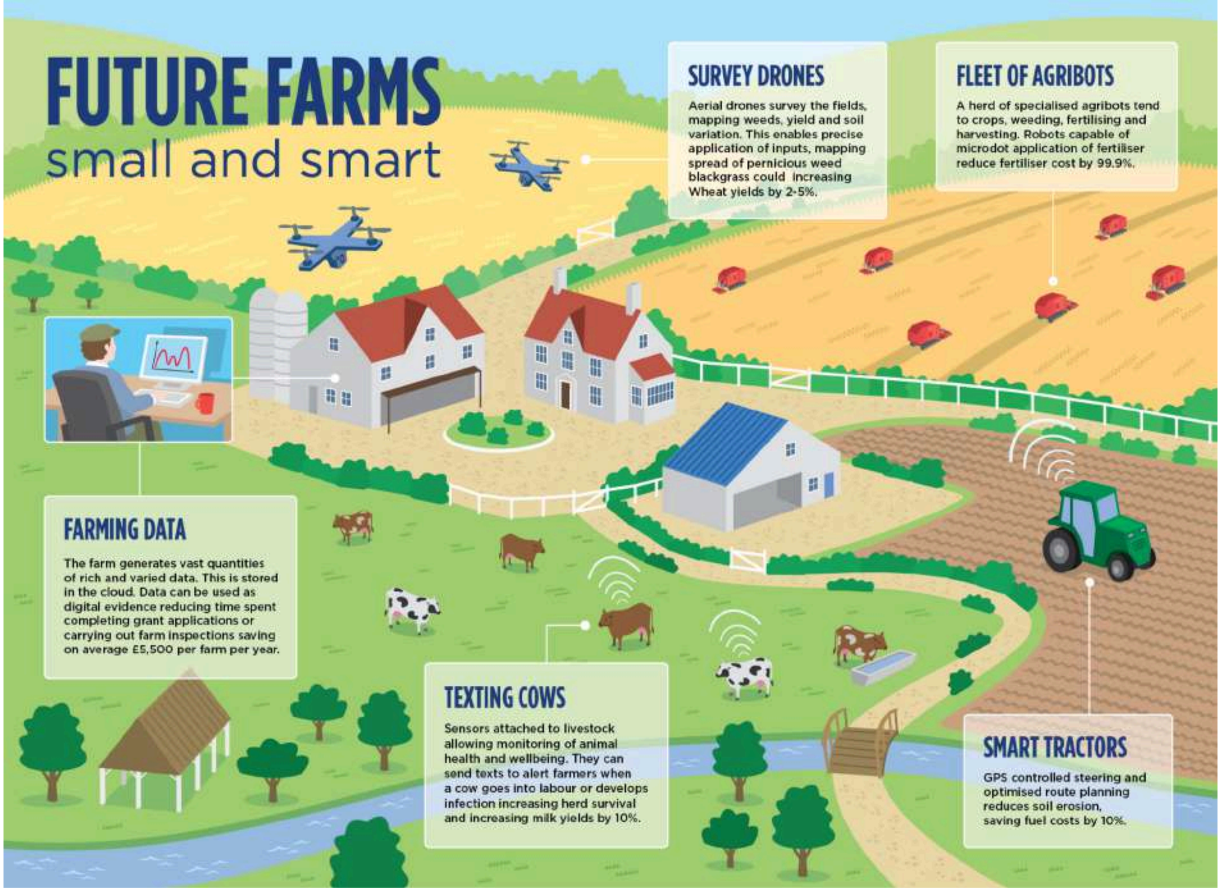

प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में कैसे लाभकारी हो सकता है**?**

- यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है।
- मृदा के क्षरण को रोकती है।
- फसल उत्पादन में रासायनिकों के अनुप्रयोग को कम करती है।
- जल संसाधनों का कुशल उपयोग।
- गुणवत्ता, मात्रा और उत्पादन की कम लागत के लिये आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रसार करती है।
- किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव लाती है।

चुनौतियाँ**:**

- शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित:
    - ज्ञान की कमी
    - अपर्याप्त कौशल
    - बेहतर कौशल प्रशिक्षण का अभाव

- प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा:
    - खराब बुनियादी ढाँचा
    - भंडारण की कमी
    - परिवहन की कमी
- आर्थिक और नीतिगत मुद्दे:
    - धन की कमी
    - ऋण तक पहुँच की कमी
    - बैंक ऋणों तक पहुँच का अभाव
- जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दे:
    - खराब मिट्टी
    - मिट्टी की उर्वरता में कमी
    - वर्षा की अनियमितता
    - प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- बाढ़, पाला, ओलावृष्टि
- मनो-सामाजिक मुद्दे:
    - श्रमिकों की कृषि में दिलचस्पी न होना, क्योकि वे आत्मनिर्भरता के लिये परियोजनाओं (आईपेलेगेंग प्रोजेक्ट) की तुलना में कृषि कार्यों को कम प्राथमिकता देते हैं, साथ ही कृषि कार्य करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- एग्रीस्टैक: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'एग्रीस्टैक' के निर्माण की योजना बनाई है, जो कि कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का संग्रह है। यह किसानों को कृषि खाद्य मूल्य शृंखला में एंड टू एंड सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक एकीकृत मंच का निर्माण करेगा।
- डिजिटल कृषि मिशन: कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक, ड्रोन व रोबोट के उपयोग जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक के लिये यह पहल शुरू की गई है।
- एकीकृत किसान सेवा मंच **(UFSP)**: यह कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एप्लीकेशन और टूल्स का एक संयोजन है जो देश भर में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न सार्वजनिक व निजी आईटी प्रणालियों की निर्बाध अंतःक्रियाशीलता को सक्षम बनाता है। UFSP निम्नलिखित भूमिका निभाता है:
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना **(NeGP-A)**: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इस योजना को वर्ष 2010-11 में 7 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों तक समय

पर कृषि संबंधी जानकारी पहुँचाने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग कर भारत में तेज़ी से विकास को बढ़ावा देना है।

  - वर्ष 2014-15 में इस योजना का विस्तार शेष सभी राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया था।

- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM):**
  - इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिये सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- अन्य डिजिटल पहलें: किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा एप, कृषि बाज़ार एप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड **(SHC)** पोर्टल आदि।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी के उपयोग ने 21वीं सदी को परिभाषित किया है। जैसे-जैसे दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा और अन्य नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है, भारत के पास आईटी दिग्गज होने का लाभ उठाने और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का एक ज़बरदस्त अवसर है। जैसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, वैसे ही भारतीय खेती में आईटी क्रांति अगला बड़ा कदम हो सकता है।
- भारत में किसानों की क्षमता में सुधार हेतु अत्यधिक प्रयास किया जाने की आवश्यकता है, कम-से-कम जब तक शिक्षित युवा किसान मौजूदा अल्पशिक्षित छोटे एवं मध्यम किसानों को प्रतिस्थापित नहीं कर देते हैं।
- कृषि क्षेत्र में भारत को सभी तरह से 'आत्मनिर्भर' बनाने की क्षमता है और इससे बाहरी कारकों पर निर्भरता भी कम होगी।

4. कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें

अर्थ

कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें कृषि कीमतों और औद्योगिक कीमतों का अनुपात है। दूसरे शब्दों में, कृषि कीमतों को औद्योगिक कीमतों से विभाजित किया जाता है। कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें सरकार की कृषि नीति के केंद्र में रहती हैं।

कृषि की व्यापार शर्तों में वृद्धि का क्या अर्थ है**?**

कृषि की व्यापार शर्तों में वृद्धि का अर्थ है अनुपात में वृद्धि। इसका मतलब समय के साथ कृषि वस्तुओं की

कीमतें विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों की तुलना में अधिक दर पर बढ़ी हैं।इसका मतलब है कि औद्योगिक वस्तुओं की क्रय शक्ति के मामले में कृषि क्षेत्र बेहतर स्थिति में है। इस पर इस तरीके से विचार करें। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं हैं, केले और पिन और आप केले का उत्पादन करते हैं और बेचते हैं। शुरुआत में दोनों की कीमत 10 रुपये थी। यदि अब दोनों की कीमतें 100 प्रतिशत बढ़ जाती हैं, तो व्यापार की शर्तों पर कुछ नहीं होता है और क्रय शक्ति अपरिवर्तित रहती है। यदि इसके बजाय, केले की कीमतें 100 प्रतिशत बढ़ जाती हैं और पिन की कीमत नहीं बढ़ती है, तो एक केला निर्माता के रूप में आप बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि एक केले के बजाय अब दो पिन खरीदे जा सकते हैं। केले और पिन के बीच व्यापार की शर्तें या अनुपात दोगुना हो गया है। केले के स्थान पर कृषि और पिन के स्थान पर उद्योग का उपयोग करें और आप यह जान सकते हैं कि कृषि की व्यापार शर्तों में वृद्धि से किसानों को क्या लाभ होता है।

5. भारत में कृषि नीति और योजनाएँ

परिभाषा और अर्थ

कृषि नीति को एक ऐसी कार्य-योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषि विकास से संबद्ध पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्णयों की दिशा-निर्देशित करती है। यह सामूहिक रूप से कृषि से जुड़ी अनेक नीतियों हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे– भूमि नीति, कीमत नीति, व्यापार नीति, ऋण नीति, खाद्य नीति, आदि। यह कृषि विकास हेतु राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उसे क्रियान्वित करने हेतु कार्रवाई-समूह को प्रस्तुत करती है।

कृषि नीति के उद्देश्य

कृषि नीति के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। उनकी प्रासंगिकता समय के साथ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में, खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख नीति लक्ष्य था। आज, कृषि को कैसे पारिस्थितिकीय, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धारणीय बनाया जाए ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य बन चुका है। मोटे तौर पर, भारतीय कृषि के प्रसंग में हम निम्नलिखित नीति लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं–

- भारतीय कृषि के वैश्विक एकीकरण के कारण किसानों को कीमत संरक्षण एवं कीमत अस्थिरता का नियंत्रण;
- भूमि, जल व अन्य प्राकृतिक संउपायों के परिरक्षण, प्रबंधन एवं विवेकपूर्ण प्रयोग;
- लागत-प्रभावी, ऊर्जा-दक्ष एवं संउपाय-संरक्षी फार्म प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना;
- लघु एवं सीमांत भू-जोतों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना;
- उच्च-कीमत बाग़वानी एवं पशुधन उत्पादों की दिशा में फार्म विविधीकरण;
- कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना;
- देशभर में कृषि जिंसों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना; तथा
- कृषि उत्पाद एवं साधन बाज़ारों की कार्यविधि सुधारना।

नवीन कृषक नीति 2007

राष्ट्रीय कृषक नीति (NPF), 2007 कृषि विकास को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह मात्र कृषि उत्पादन की बजाय किसानों के आर्थिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। 'कृषक' या 'किसान' का अर्थ है– वह व्यक्ति जो खेतीहर, श्रमिक, बटाईदार, काश्तकार, मुर्गी पालन व पशु पालक के रूप में कृषिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से लगा हो और कोई भी अन्य व्यक्ति जो संबद्ध कृषिक क्रियाकलापों, जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यानकी, कृषि-वानिकी, रेशम कीटपालन, ग़ैर-निगमित बाग़ान आदि में लगा हो। तद्नुसार, कृषक की परिभाषा की परिधि विस्तृत रखी गई है ताकि कोई भी तबका छूट न जाए। इस नीति के उद्देश्य हैं– (i) कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुधारना और किसानों की निवल आय बढ़ाना; (ii) फार्म परिवारों को ग़ैर-फार्म रोज़गार के अवसर प्रदान करना; (iii) खेती में युवाशक्ति को आकर्षित एवं प्रतिधारित करने हेतु उपाय करना; (iv) किसानों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित एवं प्रवर्तित करना; (v) हानिभय नियंत्रण उपाय सुझाना; (vi) भूमि, जल, जैव-विविधता एवं पादप-आनुवंशिक संउपायों को बचाना और बढ़ाना; (vii) समुचित कीमत एवं व्यापार नीति प्रणालियाँ प्रदान करना; तथा (viii) कृषिक सुधारों की पहल करना। उक्त उपायों के अलावा, खेती में फिर से प्राण फूँकने और कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता एवं आय बढ़ाने के लिए कुछ अन्य नवीन कृषि नीति सुधारों की भी पहल की गई है जो कि निम्नवत् हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के कल्याण/आय में वृद्धि के लिए चलाई जा रही योजनाओं का योजना-वार विवरण नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ा जा सकता है। यह विवरण अंग्रेजी में है जिसे गूगल क्रोम के भाषा अनुवाद टूल की मदद से हिन्दी में अनुवाद करके पढ़ सकते हैं-

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002012

6. कृषि के सतत विकास के लिए नीतियाँ- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

भूमिका:

- कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों (जैसे मिट्टी और पानी) का संरक्षण और उनका स्थायी उपयोग महत्वपूर्ण है।

- भारत में कृषि भूमि का 60% वर्षा सिंचित क्षेत्र है, जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% योगदान देता है।
- वर्षा सिंचित कृषि के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

मिशन के उद्देश्य:

- कृषि को अधिक उत्पादक, स्थायी, लाभदायक और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए स्थान-विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता और आजीविका विविधीकरण के माध्यम से कृषि को स्थायी बनाना।
- किसानों और हितधारकों की क्षमता निर्माण करना।
- वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिए चयनित ब्लॉकों में प्रायोगिक मॉडल स्थापित करना।

मिशन की कार्यनीति:

- एकीकृत कृषि: फसल, पशुधन, मत्स्य पालन, बागवानी और चारागाह आधारित संयुक्त कृषि को बढ़ावा देना।
- संसाधन संरक्षण: जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वनरोपण जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना।
- जल उपयोग दक्षता: सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन: मिट्टी परीक्षण, जैविक उर्वरक और पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- आजीविका विविधीकरण: कृषि-व्यवसायों, मूल्य संवर्धन और गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- क्षमता निर्माण: किसानों और हितधारकों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना।
- अनुसंधान और विकास: स्थायी कृषि के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

मिशन के घटक:

- वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी): यह घटक कृषि प्रणालियों और प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है।
- फार्म पर जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम): यह घटक कुशल जल प्रबंधन तकनीकों और उपकरणों को बढ़ावा देता है।

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम): यह घटक मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देता है।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन (सीसीएएम): यह घटक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

7. कृषि संकट

कृषि संकट को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आर्टिकल पढे

https://hindi.economictimes.com/kheti-kisani/kheti-kisani-latest-news-updates-why-farming-is-not-a-beneficial-profession/articleshow/98726147.cms

8. भारत के कृषि श्रमिक

कृषि मजदूर वह श्रमिक है, जो खेती से सम्बंधित कार्यों जैसे खेत जोतना ,फसल काटना , बागवानी करना, पशुओं को पालना, मधुमक्खियों और मुर्गी पालन के प्रबंधन और वन्य जीवन से जुडे कार्यों में लगा होता है। कृषि मजदूर असंगठित में क्षेत्र में आते हैं। भारत की लगभग 53% आबादी आज भी कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल है।

1950-1951 में गठित की गई पहली कृषि श्रम समिति ने कहा कि ये वह श्रमिक होते हैं जो मजदूरी के भुगतान के बदले फसल उगाते हैं । भारत में चूंकि, श्रमिकों की एक बड़ी संख्या इस इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, अत: इस परिभाषा को अधूरा माना गया। तदनुसार, समिति ने इसे पुन परिभाषित करते हुए कहा कि उन लोगों को कृषि श्रमिक के रुप में माना जाना चाहिए जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिन के लिए मजदूरी के भुगतान पर काम करते हो।

1956-1957 में गठित दूसरी कृषि श्रम जांच समिति ने कृषि श्रमिकों का दायरा बढ़ाते हुए उसमे खेतों में काम करने वालों के अलावा उन लोगों को शामिल किया जो पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, आदि दूसरे तरह के कार्यों में लगे हैं।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि घरों में काम करने वाले श्रमिक भी इसी दायरे में आते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जरूरी है कि आय के मुख्य स्त्रोत को भी ध्यान में रखा जाए। अंतत: यह तय हुआ कि जो मजदूर अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक आय कृषि के क्षेत्र में काम करके प्राप्त करता है, तभी उसे कृषि श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत माना जायेगा।

कृषि श्रमिकों की श्रेणियाँ

पहली कृषि श्रम जांच समिति ने कृषि श्रमिकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया।

पहला संगठित मजदूर व दूसरा आकस्मिक मजदूर

- संगठित मजदूर वो होते हैं जो कृषक घर से किसी लिखित या मौखिक समझौते के तहत जुड़े होते हैं। उनके लिए यह रोजगार स्थाई और नियमित होता है।
- आकस्मिक मजदूरों की बात करें तो वे किसी भी किसान के खेत पर काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनका भुगतान आम तौर पर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है।

कृषि श्रमिकों के प्रकार

कृषि श्रमिकों को हम विस्तृत रुप से पारिवारिक श्रमिक, किराये के मजदूर व बंधुआ मजदूर की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

- पारिवारिक श्रमिक

इस श्रेणी में वे छोटे किसान होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और मजदूरी देने में असमर्थ होते हैं। ये छोटे किसान बुआई, निराई व कटाई के सीजन में मजदूरी पर काम करते हैं। जब किसी कार्य को जल्द पूरा करना है और श्रमिकों की अधिक संख्या में आवश्यकता होती है ऐसे समय में पारिवारिक श्रमिक भी मजदूरी करने लगते हैं ।

- मजदूरी पर काम करनेवाले श्रमिक

इस श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : संगठित मजदूर व संलग्न श्रमिक

संलग्न श्रमिक कुछ समय या पूरे समय के लिए मालिकों से अनुबंध पर काम करते हैं। जबकि आकस्मिक श्रमिक जरूरत पड़ने पर काम पर आते है। आकस्मिक श्रमिक दैनिक मजदूर होते हैं। ये कम समय के लिए मजदूरी करते है। इनका अनुबंध मालिकों के साथ मौखिक होता है। यह अनुबंध तिमाही,छमाही व वार्षिक हो सकता है। मजदूरी पर काम काम करनेवाले श्रमिकों को मिलनेवाला वेतन आकस्मिक श्रमिकों से कम होता है।

- बंधुआ मजदूर

भारत में इस श्रेणी में आनेवाले श्रमिक सबसे निचले पायदान पर आते है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने कर्ज को अदा करने के लिए किसी परिवार के सदस्य या किसी मालिक का बंधक बनकर काम करता है। वह व्यक्ति तब तक उस घर में श्रमिक के तौर पर काम करता है जब तक की उसका कर्ज अदा न हो जाए।

कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण

1- जनसंख्या में वृद्धि**:** जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह निर्भर व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि होना जबकि जमीन का क्षेत्रफल वही रहा।

2- कुटीर उद्योग व ग्रामीण हस्तकला शिल्प में कमी**:** अंग्रेजों के शासन काल के दौरान भारत में कुटीर उद्योग व ग्रामीण हस्तशिल्प कला में भारी गिरावट आई।

इसके बावजूद आधुनिक उद्योग धंधे इसका स्थान नहीं ले पाए। इसलिए ऐसे श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में आना पड़ा।

3-अलाभकारी कंपनी: कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का यह भी सबसे बड़ा कारण रहा है। इस दौरान बहुत सी कंपनियां घाटे में रही या वे बंद हो गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजदूर कृषि क्षेत्र की ओर पलायन कर गए।

4-कर्ज का बोझ बढ़ना: छोटे किसान साहूकारों के कर्ज में फंसते चले गए, जिसके कारण उनकी जमीन उनके हाथ से चली गई। इस तरह वे साहूकारों के चंगुल से बाहर नहीं आ सके और उनको मजबूरन कृषि श्रमिक बनना पड़ा।

5-पैसों का प्रचलन व विनिमय का बढ़ना: पैसों का प्रचलन और विनिमय दरों का बढ़ना भी कृषि श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण है। पैसों के लिए लोग जमींदारों की जमीन पर काम करते थे जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता था।